

मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल, भोपाल

एफ-7 सांची कॉम्प्लेक्स बोर्ड ऑफिस के सामने भोपाल म.प्र. 462016

दूरभाष: 07552767786 ई-मेल: registrarmPMC@gmail.com

क्रं. एमपीएमसी/उप.पंजी./प्रोविजनल (विदेश)/2018/5900

भोपाल दिनांक 22/12/2018

//परिपत्र//

विषय:- भारत के बाहर के देशों से एम.बी.बी.एस. अथवा समकक्ष कोर्स पश्चात् म.प्र. मेडिकल कौंसिल में प्रोविजनल पंजीयन ।

म. प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा पूर्व में जारी इंस्ट्रक्शन्स को अधिकमित करते हुए भारत के बाहर के देशों से एम.बी.बी.एस. अथवा समकक्ष कोर्स पश्चात् म.प्र. मेडिकल कौंसिल में प्रोविजनल पंजीयन हेतु निम्नानुसार परिपत्र जारी किया जाता है :-

1. सेवा का उद्देश्य:-

भारतीय नागरिक जिसने भारत के बाहर के देशों के चिकित्सा संस्थान से मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. अथवा समकक्ष कोर्स एम.बी.बी.एस. कोर्स करने के उपरांत भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 25 के प्रावधान अनुसार चिकित्सा छात्र द्वारा मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त म.प्र. राज्य के मेडिकल कॉलेज / हॉस्पिटल से ईन्टर्नशीप करने के उद्देश्य से 1 वर्ष हेतु अथवा ईन्टर्नशीप की अवधि पूर्ण होने तक प्रोविजनल पंजीयन करना ।

2. पदाभिहित अधिकारी :-

रजिस्ट्रार, म. प्र. मेडिकल कौंसिल, भोपाल

3. आवेदन पत्र एवं प्रारूप :-

आवेदन एम. पी. ऑनलाइन पोर्टल अथवा कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही किया जावेगा ।

4. पात्रता की आवश्यक शर्तें :-

4.1 भारत के बाहर के देशों से एम.बी.बी.एस. अथवा समकक्ष कोर्स उत्तीर्ण किया हो ।

4.2 आवेदक भारतीय नागरिक हो ।

4.3 आवेदक म.प्र. का मूल निवासी होना चाहिए । यदि आवेदक म. प्र. का मूल निवासी नहीं है तो उसे अपने राज्य की स्टेट मेडिकल कौंसिल से पंजीयन हेतु संपर्क करना होगा ।

4.4 मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा आवेदक को विदेश के चिकित्सा संस्थान से एम.बी.बी.एस. अथवा समकक्ष कोर्स में प्रवेश हेतु Eligibility certificate प्रदान किया गया हो ।

- 4.5 आवेदक द्वारा उस ही चिकित्सा संस्थान से एम.बी.बी.एस. अथवा समकक्ष कोर्स उत्तीर्ण किया हो जहां के लिए मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा उन्हें Eligibility certificate प्रदान किया गया है ।
- 4.6 आवेदक द्वारा एम.बी.बी.एस. अथवा समकक्ष कोर्स उत्तीर्ण करने के उपरांत Screening Test उत्तीर्ण कर लिया हो ।
- 4.7 म. प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग/संचालनालय चिकित्सा शिक्षा म. प्र. द्वारा आवेदक को म.प्र. राज्य के मेडिकल कॉलेज/हॉस्पिटल से इन्टर्नशीप करने हेतु अनुमति प्रदान कर दी गई हो ।
- 4.8 अधिष्ठाता/संस्था प्रमुख/अस्पताल अधीक्षक (जिस संस्था से चिकित्सा छात्र इन्टर्नशीप कर रहा है) द्वारा जारी इन्टर्नशीप अंडरगोइंग प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया हो ।
- 4.9 इन्टर्नशीप पूर्ण करने के उपरांत प्रोविजनल पंजीयन हेतु आवेदन स्वीकार नहीं होगा ।

5. आवश्यक दस्तावेज :-

- 5.1 जन्मतिथि के सत्यापन हेतु कक्षा 10वीं की अंकसूची,
- 5.2 कक्षा 12वीं की अंकसूची,
- 5.3 म. प्र. के मूल निवासी का प्रमाण पत्र ।
- 5.4 मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा जारी Eligibility certificate.
- 5.5 नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन, नई दिल्ली का Screening Test उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र ।
- 5.6 एम.बी.बी.एस. अथवा समकक्ष कोर्स उत्तीर्ण की समस्त अंकसूचियां,
- 5.7 एम.बी.बी.एस. अथवा समकक्ष कोर्स की डिग्री ।
- 5.8 म. प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग/संचालनालय चिकित्सा शिक्षा म. प्र. द्वारा आवेदक को म.प्र. राज्य के मेडिकल कॉलेज/हॉस्पिटल से इन्टर्नशीप करने हेतु अनुमति प्रदान करने का आदेश ।
- 5.9 अधिष्ठाता/संस्था प्रमुख/अस्पताल अधीक्षक (जिस संस्था से चिकित्सा छात्र इन्टर्नशीप कर रहा है) द्वारा जारी इन्टर्नशीप अंडरगोइंग प्रमाण पत्र ।
- 5.10 पासपोर्ट एवं वीजा की छायाप्रति ।
- 5.11 कक्षा 10वीं एवं 12वीं के ऑनलाइन सत्यापन की प्रति
(जहां दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा नहीं है वहां के लिए सत्यापन शुल्क म.प्र. मेडिकल कौंसिल में अभिलेखों के सत्यापन के समय जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा)
- 5.12 संबंधित देश की मेडिकल कौंसिल द्वारा जारी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (यदि हो)



- 5.13 भारतीय दूतावास द्वारा जारी पत्र जिसमें लेख हो कि उस देश में जहां से आवेदक द्वारा उपाधि प्राप्त की है, वह एक मान्यता प्राप्त उपाधि है ।
- 5.14 निर्धारित प्रारूप में पचास रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र Appendix 'A' ।
6. आवेदक को एम. पी. ऑनलाईन पोर्टल से आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाना होगी—
- 6.1 यदि आवेदक प्रथम बार ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर रहा है तो पहले उसे अपना User Profile बनाना होगा । User Profile आवेदक के आधार नंबर के माध्यम से OTP/ Biometric से पुष्टि होकर बनेगा ।
- 6.2 User Profile में दर्ज किये गये मोबाईल नम्बर ही आवेदक का यूजर आईडी होगा तथा ओटीपी (पासवर्ड) उक्त दर्ज मोबाईल नम्बर पर प्राप्त होगा । आवेदक को अवगत कराया जाता है कि वे अपना स्थाई मोबाईल नम्बर ही अपने लॉगइन में दर्ज करें ।
- 6.3 आवेदक को लॉगइन में अपना फोटो एवं हस्ताक्षर एक साथ स्कैन कर निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करना होगा । Appendix 'B'
- 6.4 आवेदक अपने User Profile के माध्यम से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा ।
- 6.5 आवेदन में अपने नाम की स्पेलिंग उनके द्वारा धारित अंकसूची/प्रमाण पत्र के अनुरूप ही लिखें ।
- 6.6 आवेदन भरते समय आवेदक द्वारा अपना नाम, मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल एड्रेस सही-सही भरा जावे। एक बार आवेदन पत्र जमा होने के बाद नाम, मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल में कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं होगा ।
- 6.7 नेशनल बोर्ड ऑफ एकजामिनेशन, नई दिल्ली का Screening Test उत्तीर्ण करने की दिनांक से तीन माह की समयावधि में प्रोविजनल पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदक को विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा ।
- 6.8 आवेदक अपनी ईन्टरनशीप प्रारम्भ किये जाने के एक माह की समयावधि में आवेदन प्रस्तुत करें । ईन्टरनशीप पूर्ण होने के उपरांत आवेदन स्वीकार नहीं होंगे । ऐसे आवेदन को निरस्त कर दिया जावेगा ।
- 6.9 आवेदक को आवेदन सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन दर्ज किया जाना एवं कंडिका -5 में बताये अनुसार आवश्यक दस्तावेज को स्कैन कर आवेदन के साथ अपलोड करना होगा ।
- 6.10 आवेदक को म.प्र. मेडिकल कौंसिल के कार्यालय (एफ-7 सांची कॉम्प्लेक्स बोर्ड ऑफिस के सामने भोपाल म.प्र. 462016) में अपने अभिलेखों के सत्यापन हेतु उपस्थित होने के लिए पोर्टल पर स्लॉट बुक कर दिनांक चयनित करना होगी। चयनित दिनांक पर ही आवेदक उक्त सत्यापित आवेदन पत्र एवं अपने मूल अभिलेखों के साथ सत्यापन हेतु उपस्थित होंगे ।

- 6.11 आवेदक को कंडिका -8 अनुसार पंजीयन शुल्क + विलंब शुल्क (यदि लागू हो) का भुगतान भी ऑनलाईन किया जाना होगा।
- 6.12 ऑनलाईन आवेदन जमा होने पर सॉफ्टवेयर से आवेदन की पावती (Receipt) तैयार होगी। आवेदन की पावती (Receipt) आवेदक के लॉगइन पर उपलब्ध होगी।
- 6.13 आवेदन पोर्टल पर प्रस्तुत होने के उपरांत एक यूनिक एप्लीकेशन नम्बर जनरेट होगा। उक्त यूनिक एप्लीकेशन नम्बर से अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति ज्ञात कर सकते हैं।
- 6.14 उक्त आवेदन पत्र की कलर प्रिंट की प्रति पर अधिष्ठाता/संस्था प्रमुख/अस्पताल अधीक्षक (जिस संस्था से चिकित्सा छात्र इंटरनशीप कर रहा है) से आवेदन पत्र को सत्यापित (हस्ताक्षर एवं सील सहित) करवाएं। उसकी एक प्रति आवेदक अपने पास सुरक्षित रखें।
- 6.15 सत्यापन एवं मुहर लगाने हेतु बिना लेमिनेशन के मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 6.16 अभिलेखों की छायाप्रति स्वयं द्वारा सत्यापित होनी चाहिए। समस्त मूल अभिलेख (इंटरनशीप अंडरगोइंग सर्टिफिकेट एवं शपथ पत्र को छोड़कर) आवेदक को वापस कर दिये जावेंगे।
- 6.17 यदि आवेदन में कोई कमी पाई जाती है तो संशोधन हेतु आवेदन आवेदक को ऑनलाईन वापस (Sent Back) किया जावेगा। ऐसी स्थिति में आवेदक को उसी दिन अपने लॉगइन पर जाकर आवेदन में संशोधन कर प्रस्तुत करना होगा।
- 6.18 यदि आवेदक चयनित तिथि को अभिलेखों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होता है अथवा Sent Back किये गये आवेदन में संशोधन कर उसी दिन प्रस्तुत नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक को अभिलेखों के सत्यापन हेतु पुनः स्लॉट बुक करना होगा जिस हेतु पुनः स्लॉट बुकिंग शुल्क रूपये 500/- (पांच सौ रूपये मात्र) का भुगतान ऑनलाईन किया जाना होगा।
- 6.19 म. प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र आवेदक के लॉगइन पर अपलोड होगा जहां से आवेदक स्वयं प्रिंट ले सकते हैं।
- 6.20 आवेदन एवं दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत यदि आवेदन प्रोविजनल पंजीयन के लिए पात्र नहीं पाया जाता है तो ऐसे आवेदन को स्पष्ट कारण दर्शाते हुए निरस्त करने का आदेश म. प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा पारित किया जावेगा। आदेश की प्रति आवेदक के लॉगइन पर प्रेषित की जावेगी।
7. आवेदन प्राप्त होने पर म.प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी –
- 7.1 आवेदक द्वारा चयनित तिथि को आवेदक के उपस्थित होने की स्थिति में ही आवेदन/अभिलेखों के सत्यापन, आवेदन स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने की कार्यवाही म.प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा की जावेगी।

- 7.2 यदि आवेदन में कोई कमी पाई जाती है तो संशोधन हेतु आवेदन आवेदक को ऑनलाइन वापस (Sent Back) किया जावेगा। ऐसी स्थिति में आवेदक को उसी समय (clarification पर जाकर) आवेदन में संशोधन कर प्रस्तुत करना होगा।
- 7.3 आवेदन एवं दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत आवेदन प्रोविजनल पंजीयन के लिए पात्र नहीं पाया जाता है तो ऐसे आवेदन को स्पष्ट कारण दर्शाते हुए निरस्त कर आदेश पारित किया जावेगा। आदेश की प्रति आवेदक के लॉगइन पर उपलब्ध होगी।
- 7.4 आवेदन एवं दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत आवेदन प्रोविजनल पंजीयन के लिए पात्र पाए जाने पर आवेदन स्वीकृत कर पंजीयन क्रमांक जनरेट किया जावेगा।
- 7.5 कंडिका क्रमांक 7.4 अनुसार जनरेट सर्टिफिकेट पर डिजिटल हस्ताक्षरित पंजीयन प्रमाण पत्र ऑनलाईन जारी किए जावेंगे। डिजिटल हस्ताक्षरित पंजीयन प्रमाण पत्र आवेदक के लॉगइन पर प्रेषित किया जावेगा।

8. शुल्क –

- 8.1 भारत के बाहर के देशों से एम.बी.बी.एस. अथवा समकक्ष कोर्स पश्चात् म.प्र. मेडिकल कौंसिल में प्रोविजनल पंजीयन हेतु अप्रतिदेय (non refundable) शुल्क रूपये 5200/– (पांच हजार दो सौ रूपये मात्र) है।
- 8.2 विलंब शुल्क:
- नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन, नई दिल्ली का Screening Test उत्तीर्ण करने की दिनांक से–
- | | |
|---------------------------|--------------|
| ● 3 माह तक | निरंक |
| ● 3 माह से 6 माह के भीतर | रु. 2000=00 |
| ● 6 माह से 12 माह के भीतर | रु. 5000=00 |
| ● 12 माह से अधिक | रु. 10000=00 |
- 8.3 उपरोक्त के अतिरिक्त आवेदक को एम. पी. ऑनलाइन द्वारा निर्धारित पोर्टल शुल्क का भुगतान करना होगा।


रजिस्ट्रार

मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल

पृ० क्रं. एमपीएमसी/उप.पंजी./प्रोविजनल/विदेश/2018/5901-89 भोपाल दिनांक 22/12/2018

प्रतिलिपि:—

1. सचिव, म. प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, म. प्र. की ओर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा म. प्र. एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी की ओर सूचनार्थ ।
3. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म. प्र. की ओर सूचनार्थ ।
4. संचालक चिकित्सा शिक्षा म. प्र. की ओर सूचनार्थ ।
5. समस्त रजिस्ट्रार, म. प्र. के चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विश्वविद्यालय की ओर सूचनार्थ ।
6. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म. प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एम. पी. ऑनलाईन लिमिटेड, ब्लॉक-ओ.बी., 14-17, चतुर्थ मंजिल, डी. बी. सिटी कार्पोरेट पार्क, अरेरा हिल्स, एम. पी. नगर जोन-1 के सामने, भोपाल ।
9. आयुष तिवारी, बिजनेस एनालिसिस्ट, एमपीऑनलाईन भोपाल ।
10. उप पंजीयक म. प्र. मेडिकल कौंसिल, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. समस्त कर्मचारी, स्थानीय कार्यालय म. प्र. की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।



रजिस्ट्रार

मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल

शपथपत्र

मैं, आत्मज/आत्मजा, आयु-..... वर्ष, निवासी - शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करती हूँ कि—

- 1) यह कि मेरे द्वारा एम.बी.बी.एस. अंतिम वर्षीय परीक्षामें से Foreign Medical Graduate के रूप में उत्तीर्ण की है।
- 2) यह कि मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देश अनुसार मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने के कारण इसी प्रदेश (मध्यप्रदेश) में मेरा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन किया जाना है।
- 3) यह कि म. प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग / संचालनालय चिकित्सा शिक्षा म. प्र. के अनुमति आदेश क्रमांक दिनांक द्वारा म.प्र. राज्य के से इन्टर्नशिप करने हेतु अनुमति प्रदान की गई है।
- 4) यह कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हेतु ऑनलाइन आवेदन के साथ मेरे द्वारा जो दस्तावेज अपलोड/प्रस्तुत किये गये हैं, वे वास्तविक और सत्य हैं।
- 5) यह कि यदि उपरोक्त विवरण एवं अपलोड/प्रस्तुत किये गये दस्तावेज झूठे, गढ़े गये अथवा छेड़छाड़ किये गये हों तो परिषद मेरे पंजीयन को निरस्त कर मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगी।
- 6) यह कि निर्धारित समयवधि में मेरे द्वारा इन्टर्नशिप प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद भी मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली के परिपत्र क्र. MCI -203 (1) (Gen)/2013- Regn.59243 Dated: 24-02-2011 में जारी दिशा निर्देश अनुसार जब तक मेरे द्वारा विदेश से प्राप्त की गई चिकित्सा अर्हताओं एवं अन्य संबंधित अभिलेखों के सत्यापन संबंधित भारतीय दूतावास, कांसिलेट, संस्थान आदि से मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल को प्राप्त नहीं होता है, मैं मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल से अपना परमानेंट रजिस्ट्रेशन लेने का हकदार नहीं होऊँगा /होऊँगी।

स्थान :

दिनांक :

शपथग्रहिता

//सत्यापन-लेख//

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि उपरोक्त शपथ-पत्र मेरे द्वारा बिना किसी प्रकार के दबाव के स्वेच्छा से प्रस्तुत किया गया है जिसके चरण क्रमांक 1 से लेकर 4 में दिये गये सम्पूर्ण कथन पूर्णतः सत्य हैं इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है और न ही किसी सत्य को छुपाया गया है।

स्थान :

दिनांक :

शपथग्रहिता

Colour Photo
Signature